प्रेस नोट
दिनांकः 19.11.2026

एटीएम बूथों पर फेविक्विक लगाकर कार्ड फंसाने, पिन चोरी करने एवं खातों से रुपये निकालने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ₹34,910 नकद, 23 एटीएम कार्ड, 05 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 01 की-पैड मोबाइल फोन, 73 फर्जी विजिटिंग कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त चाकू, प्लास, कैंची एवं पेचकस व हुंडई आई-10 कार आदि बरामद-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में एटीएम बूथों पर एटीएम कार्ड फंसाकर एवं पिन चोरी कर खातों से रुपये निकालने की घटनाओं का खुलासा करते हुए थाना कोतवाली नगर एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से ₹34,910 नकद, 23 एटीएम कार्ड, 05 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 01 की-पैड मोबाइल फोन, 73 फर्जी विजिटिंग कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त चाकू, प्लास, कैंची एवं पेचकस व हुंडई आई-10 कार आदि बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा में एटीएम बूथों पर एटीएम कार्ड फंसाकर धोखाधड़ी करने की दो घटनाएं प्रकाश में आई थीं। प्रथम घटना में दिनांक 24.10.2026 को आवास विकास कॉलोनी स्थित इंडियन बैंक एटीएम बूथ पर वादी नन्द किशोर मिश्रा का एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया था। वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद करने के बहाने फर्जी विजिटिंग कार्ड देकर उस पर अंकित मोबाइल नम्बर 9506483447 पर फोन करने को कहा। इसके बाद वादी के खाते से 06 बार में कुल ₹48,934/- निकाल लिए गए। द्वितीय घटना में दिनांक 12.11.2026 को वीर अब्दुल हमीद चौराहे से आगे फैजाबाद रोड स्थित एसबीआई एटीएम बूथ पर वादी मो0 साहिल खान का एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। वहां भी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मदद के नाम पर फर्जी विजिटिंग कार्ड देकर उसी मोबाइल नम्बर पर फोन करने को कहा गया। कुछ समय बाद वादी के खाते से अलग-अलग बार में कुल ₹90,000/- निकाल लिए गए। दोनों घटनाओं में कुल ₹1,38,934/- की धनराशि की धोखाधड़ी की गई थी। उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर साइबर सेल एवं थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जांच प्रारम्भ की गई। घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया तथा पीड़ितों को दिए गए फर्जी विजिटिंग कार्ड पर अंकित मोबाइल नम्बरों, बैंक खातों से हुई धनराशि की निकासी एवं उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। दोनों घटनाओं में एक ही मोबाइल नम्बर 9506483447 का प्रयोग होने से घटनाओं के बीच समानता प्रकाश में आई। तकनीकी साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनकी तलाश की गई। इसी क्रम में साइबर सेल एवं थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय गिरोह के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे आपस में मिलकर अन्तर्जनपदीय गिरोह के रूप में अलग-अलग जनपदों के एटीएम बूथों को निशाना बनाते थे। गिरोह के सदस्य एटीएम मशीन में कार्ड डालने वाले स्थान पर फेविक्विक लगा देते थे, जिससे ग्राहक का एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाता था। इसके बाद गिरोह का एक सदस्य मदद करने के बहाने पीड़ित को फर्जी विजिटिंग कार्ड देता था, जिस पर 9506483447, 9506248851 एवं 9506077978 मोबाइल नम्बर अंकित रहते थे। पीड़ित द्वारा उक्त नम्बर पर फोन करने पर उसे एटीएम मशीन में पुनः अपना पिन डालने के लिए कहा जाता था। इस दौरान पीछे खड़ा दूसरा सदस्य पीड़ित का एटीएम पिन देख लेता था। इसके बाद पीड़ित को बताया जाता था कि कुछ घंटे बाद सपोर्ट टीम आकर उसका कार्ड निकाल देगी। पीड़ित के वहां से चले जाने के बाद अभियुक्त चाकू, प्लास एवं पेचकस आदि उपकरणों से एटीएम मशीन के कार्ड डालने वाले स्थान से छेड़छाड़ कर फंसा हुआ कार्ड निकाल लेते थे। इसके बाद चोरी किए गए कार्ड एवं पहले से देखे गए पिन का प्रयोग कर एटीएम से रुपये निकालते थे तथा ऑनलाइन खरीदारी भी करते थे। **अभियुक्तों ने बताया कि वे इसी प्रकार की घटनाए जनपद प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर एवं**

गोण्डा में भी कर चुके हैं। धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का उपयोग खाने-पीने, होटलों में रुकने, शॉपिंग एवं अन्य निजी खर्चों में करते थे। इसी धनराशि से लखनऊ स्थित CAR24 के माध्यम से हुंडई आई-10 कार संख्या UP 70 EP 4229 भी खरीदी थी। अभियुक्तों के पास से अलग-अलग मोबाइल नम्बरों वाले लगभग 73 फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ऋषभ पुत्र रणवीर सिंह नि0 360/5 सहादतगंज लखनऊ।
2. समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर पुत्र मो0 जाबिर नि0 जाकिर नगर वार्ड नं0 8 बिलारियागंज आजमगढ।
3. अदनान खान पुत्र मोबीन खान नि0 मऊहार थाना को0 नगर प्रतापगढ अस्थायी पता जीआरडी फ्लोर हिम्मत नगर, हुतमेंट्स साल्ट पैनरोड निकट मदीना मस्जिद एनटॉप हिल वडाला ईस्ट मुंबई सिटी महाराष्ट्र।
4. दीपक उर्फ दीपू सिंह चौहान पुत्र राजकुमार सिंह नि0 पहाडिया थाना सारनाथ जिला वाराणसी।

अनावरित अभियोग-

01- मु0अ0सं0- 1064/26, धारा 318(4), 303(2),3(5),338,317(2) बीएनएस, 66डी,66सी आई0टी0एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

02- मु106 -0सं0अ05 धारा ,26/318(4), 303(2)338,(5)3,,317(2) बीएनएस66 ,डी66,सी आईएक्ट थाना 0टी0 नगर जनपद गोण्डा। 0को

अन्य जनपदों में प्रकाश में आए अभियोग

1. मु0अ0सं0 245/2026, धारा 318(4) बीएनएस थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ।

इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों में अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास एवं घटनाओं में संलिप्तता के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

बरामदगी-

1. नकद धनराशि – ₹34,910/-।
2. विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड – 23 अदद।
3. एंड्रॉयड मोबाइल फोन – 05 अदद।
4. घटना में प्रयुक्त की-पैड मोबाइल फोन मय सिम कार्ड– 01 अदद।
5. हुंडई आई-10 कार – 01 अदद, वाहन संख्या **UP 70 EP 4229**।
6. चाकू, प्लास, कैंची एवं पेचकस आदि उपकरण।
7. 02 अदद मार्कर पेन व 06 अदद फेविक्विक
8. अलग-अलग मोबाइल नम्बरों वाले 73 फर्जी एटीएम टोल-फ्री विजिटिंग कार्ड

ऋषभ पुत्र रघुवीर सिंह का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 166/2025, धारा 115(2),352,351(2) बीएनएस थाना तालकटोरा लखनऊ

समीर शेख का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 320/2016, धारा 41,411,413,414,420,468,471आईपीसी थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 348/2019, धारा 379,411आईपीसी थाना कोतवाली, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 160/2026, धारा 304 बीएनएस थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 367/2019, धारा 393 भादवि थाना को0 नगर, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 378/2019, धारा 392,411 भादवि थाना को0 नगर, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 147/2020, धारा 3(1) यू0पी गैंगस्टर एक्ट थाना को0 नगर, आजमगढ़।

अदनान खान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 24/2024, धारा 120बी 392,411 भादवि थाना सिगरामऊ जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0- 40/2024, धारा 395, 412, 420, 465, 471 आईपीसी एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, 5/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 135/2024, धारा 3(1) गैंगगेस्टर एक्ट थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 87/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 392, 411, 420, 465, 468 आईपीसी थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 118/2023, धारा 392, 411, 506 आईपीसी थाना बेल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

दीपक उर्फ दीपू सिंह चौहान का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 99/2022, धारा 302,201,34 भादवि थाना केराकत जनपद जौनपुर।
02- मु0अ0सं0 301/2022, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना केराकत जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी।
2. उप निरीक्षक श्री उदित वर्मा।
3. आरक्षी पंकज कुमार।
4. आरक्षी अभय प्राप्त सिंह।
5. आरक्षी नीलेश गुप्ता।

साइबर सेल, जनपद गोण्डा

1. निरीक्षक श्री संजय गुप्ता, प्रभारी साइबर सेल।
2. आरक्षी हरि ओम टण्डन।
3. आरक्षी अमित गौड़।
4. आरक्षी शिवम मिश्रा।
5. आरक्षी पंकज कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांकः 19.11.2026

साइबर अपराधों की रोकथाम एवं बैंकिंग फ्रॉड की प्रभावी जांच के लिए पुलिस लाइन गोण्डा में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित, साइबर सेल एवं ICICI बैंक के विशेषज्ञों ने पुलिसकर्मियों को दिया तकनीकी प्रशिक्षण-

आज दिनांक 19.11.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित बौद्धेशी सभागार में साइबर सेल गोण्डा एवं ICICI बैंक के संयुक्त सहयोग से साइबर अपराधों की रोकथाम, बैंकिंग फ्रॉड की प्रभावी जांच तथा साइबर ठगी के शिकार व्यक्तियों की धनराशि की रिकवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ICICI बैंक के बैंकिंग एवं साइबर फ्रॉड विशेषज्ञ श्री उदित त्रिपाठी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार तथा साइबर सेल गोण्डा की टीम द्वारा जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त साइबर हेल्पडेस्क कर्मियों, नोडल अधिकारियों एवं आईटी एक्ट से संबंधित विवेचकों को तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान वर्तमान समय में प्रचलित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों जैसे UPI फ्रॉड, फिशिंग, फर्जी बैंकिंग कॉल, OTP फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश एवं ट्रेडिंग एप, सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड एवं फर्जी लोन एप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराधों की प्रारंभिक पहचान, संदिग्ध बैंक खातों एवं वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण, मनी ट्रेल की ट्रैकिंग तथा साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए आवश्यक तकनीकी साक्ष्यों के संकलन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया समझाई गई। कार्यशाला में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई कर संबंधित बैंक खातों में उपलब्ध संदिग्ध धनराशि को नियमानुसार होल्ड/लीन कराने, बैंक के नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने तथा जनपद के लीन प्रतिशत में वृद्धि करने के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त पीड़ितों की ठगी गई धनराशि की अधिकतम रिकवरी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बैंकिंग प्रक्रियाओं, अभिलेखों एवं विधिक औपचारिकताओं की जानकारी दी गई।

पोर्टल एवं शिकायत निस्तारण संबंधी प्रशिक्षण- प्रशिक्षण के दौरान MRM (Money Restoration Module) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, पीड़ितों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अपलोड करने तथा लंबित प्रकरणों में धनराशि वापसी की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही GRM पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं अनुरोधों की जांच, अभिलेखों का सत्यापन एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा NCRP पोर्टल एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्राप्त शिकायतों में त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया समझाई गई। इसके अतिरिक्त विवेचना के दौरान बैंक स्टेटमेंट, KYC विवरण, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, लाभार्थी खातों की जानकारी एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को विधिसम्मत तरीके से प्राप्त करने और उनका प्रभावी विश्लेषण करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। साइबर हेल्पडेस्क पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्रवाई करने, पीड़ितों को उचित मार्गदर्शन देने तथा पोर्टलों पर लंबित शिकायतों का नियमित अनुश्रवण करने पर विशेष बल दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांकः 19.11.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी के ई-रिक्शा सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 19.11.2026 को वादी बजरंगी गोस्वामी पुत्र शिवसहाय निवासी पाचुपुर जोरिया, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 17.11.2026 को रात्रि करीब 09:30 बजे पोर्टरगंज स्थित शराब की दुकान के पास से उनका ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन नं0 UP43AT7752 चोरी हो गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 1067/26 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

दिनांक 19/20.11.2026 की रात्रि को उपनिरीक्षक शिवम गुप्ता मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग के दौरान लाहिड़ी चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्त चोरी किए गए ई-रिक्शा के साथ कटहा घाट की तरफ से आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कटहा घाट मोड़ के पास राजेन्द्र लाहिड़ी समाधि स्थल के निकट घेराबंदी कर ई-रिक्शा के साथ मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रमेश पाण्डेय उर्फ चैला पाण्डेय पुत्र स्व0 रामचन्दर पाण्डेय निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा बताया। मौके से एक अदद लाल रंग का ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन नं0 UP43AT7752 बरामद हुआ, जिसकी पहचान चोरी हुए ई-रिक्शा के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रमेश पाण्डेय उर्फ चैला पाण्डेय पुत्र स्व0 रामचन्दर पाण्डेय निवासी पोर्टरगंज पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 1067/26 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 01 अदद लाल रंग का ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन नं0 UP43AT7752।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवम गुप्ता, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. हे0का0 ध्रुव कुमार।
3. का0 संदीप कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।